फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़ (चूरू)

"राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 09.09.2023"

मन्नालाल बनाम राज. सरकार

प्रार्थना पत्र– अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट न.मु.– 72/2023 जीसीएमएस संख्या– 2023/128

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियलस जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09.9.2023	यह प्रार्थना–पत्र भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थी श्री मन्नालाल पुत्र रामबक्स जाति जाट निवासी सुजानगढ़ जिला चूरू ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र की पत्रावली मुर्तिब हुई।	

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि राजस्व रिकॉर्ड में रोही ग्राम गोपालपुरा की जमाबन्दी संवत् 2075–2078 के खाता संख्या 382 में मन्नालाल पुत्र रामबक्शाराम जाति जाट निवासी सुजानगढ़ दर्ज है। जो गलत है। प्रार्थी का सही नाम आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों के अनुसार मन्नालाल पुत्र राम बक्स है। प्रार्थी का नाम मन्नालाल पुत्र राम बक्स किये जाने का आदेश फरमावें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर तहसीलदार सुजानगढ़ से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि रोही गोपालपुरा की जमाबन्दी संवत 2075–2078 के खाता संख्या 382 में मन्नालाल पुत्र रामबक्शाराम जाति जाट निवासी सुजानगढ़ दर्ज है। जो गलत है। संलग्न दस्तावेजात, पटवारी, भू.अ.नि. की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी का नाम मन्नालाल पुत्र राम बक्स है जो शुद्ध किया जाना उचित है।

प्रार्थना–पत्र राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रस्तुत होने पर अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र, दस्तावेजात, उपसभापति नगर परिषद सुजानगढ़ द्वारा जारी प्रमाण पत्र एवं तहसीलदार सुजानगढ़ की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में रोही गोपालपुरा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू की जमाबन्दी संवत् 2075–2078 के खाता संख्या 382 में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं–

क्रं. स.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
01	गोपालपुरा	382 (नया)	मन्नालाल पुत्र रामबक्शाराम जाति जाट निवासी सुजानगढ़ खातेदार	मन्नालाल पुत्र राम बक्स जाति जाट निवासी सुजानगढ़ खातेदार

राहिन की प्रविष्टि (अगर कोई हो तो) यथावत रहेगी। निर्णय की प्रति तहसीलदार राजस्व सुजानगढ़ को भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्ब जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.09.2023 को लिखाया जाकर राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Kumar
Date: 2023.12.12 14:08:04 IST
Reason: SelfAttested

सदस्य
लोक अदालत
सुजानगढ़

पैनल अधिवक्ता (सदस्य)
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़

लोक अदालत
सुजानगढ़
न्यायिक अधिकारी
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़
रेवन्यू अधिकारी (सदस्य)
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़